


12-01-2024

वादीगण की ओर से वकील वादी द्वारा प्रा. पत्र प्रस्तुत करने पर फ़ावली पेशी में ली गई। वकील वादी द्वारा गर्भना फ़ा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो चुका है। वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं इस वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। वकील वादी का गर्भना फ़ा स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। फ़ावली बाद तरीक़ तक़मील होकर दाखिल दफ़ता है।

निवेद लिखाया जाकर बुले न्यायालय में सुनाया।


(अमिता बिश्नोई)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
बड़साना

गामावली कर



RTI इर/गो

गापगा
-पलाना गरी
-घाहते
Hsing